POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 21.09.2025

1. थाना फेस-1 पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की फार्च्यूनर कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस-1 पुलिस द्वारा दिनांक **21.09.2025** को एजी एन्वायरो के पास से चोरी की गाडी फार्च्यूनर के साथ अभियुक्त जमील अंसारी पुत्र सरवर अंसारी को **गिरफ्तार** किया गया है। उक्त गाडी की चोरी के सम्बन्ध मे थाना फेज-1 नोएडा पर मु0अ0स0 391/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। चोरी की गाडी बरामद होने पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त उपरोक्त को लग्जरी कारों का शौक है लेकिन पैसे न होने के कारण लग्जरी गाडी नहीं खरीद सका ,अपना शौक पूरा करने के लिए लग्जरी गाडियों की रैकी कर उनको चोरी करता है तथा कुछ समय तक गाडी की नम्बर प्लेट हटार उनको चलाता है एवं चोरी की गाडी के अच्छे दाम मिलने पर गाडी को बेचकर मिले पैसो से अपने शौक पूरे करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

जमील अंसारी पुत्र सरवर अंसारी निवासी ग्राम बड़ी तकिया थाना चौनपुर जिला कैमूर बिहार उम्र 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0स0 391/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास--

1.मु0अ0स0 024331/2024 धारा 305(बी) बीएनएस ई-थाना दिल्ली
2.मु0अ0स0 391/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

चोरी की फार्च्यूनर कार रजिस्ट्रेशन नम्बर एचआर 26 एफएस 6559 रंग सिल्वर

2. थाना दादरी पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या करने वाला अभियुक्त (पति) गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 **चाकू (आलाकत्ल) व** 01 **मोबाइल फोन बरामद।**

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक **21.09.2025** को वादिया द्वारा थाना दादरी पर तहरीर देकर सूचना दी गई कि वादिया की पुत्री चंचल शर्मा उम्र **26** वर्ष की उसके पति सोनू शर्मा पुत्र बाल किशन शर्मा द्वारा चाकू मार कर हत्या कर दी गई है। इस सम्बन्ध में वादिया की तहरीर के आधार पर मु**0**अ**0**सं**0 512/25** धारा **103(1)** बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **21.09.2025** को **थाना दादरी पुलिस** द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त सोनू शर्मा पुत्र बाल किशन शर्मा को घटना में प्रयुक्त **01** चाकू (आलाकत्ल) व **01** मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मेरी पत्नी के गलत व्यवहार से परेशान होकर उसकी हत्या की है।

अभियुक्त का विवरण-- सोनू शर्मा पुत्र बाल किशन शर्मा निवासी बिरखेडा**,** थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता गाँव रामपुर फतेहपुर थाना दादरी**,** गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण--

मु**0**अ**0**सं**0 0512/2025** धारा **103(1)** बीएनएस व **4/25** आर्म्स एक्ट थाना दादरी**,** कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण**--**

1. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल **01** चाकू
2. **01** मोबाइल फोन